भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 163
22.07.2024 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं

163 डॉ. नामदेव किरसान :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृति के अभाव में केन्द्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित पड़ी हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार की उन सिंचाई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं; और
(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश, परियोजना की श्रेणी के आधार पर, केन्द्रीय स्तर पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) अथवा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा की जाती है। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करने अथवा अन्यथा अनुमोदन हेतु मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए), जैसा भी मामला हो, द्वारा परियोजनाओं पर आगे विचार किया जाता है। ईआईए अधिसूचना, 2006, यथा संशोधित, के प्रावधानों के तहत, आवेदक को पर्यावरण मंजूरी प्रस्ताव पर निर्णय से अवगत कराने के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने की तिथि से कुल 105 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

जहां तक वन स्वीकृति (एफसी) का संबंध है, वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रस्तावों पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जो कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न वानिकी प्रयोजनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की केन्द्र सरकार द्वारा उनकी पूर्णता के लिए जांच की जाती है और वर्तमान नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार, मामला-दर-मामला आधार पर, निर्णय लिया जाता है। यदि प्रस्ताव अधूरा पाया जाता है तो उसे वापस लौटा दिया जाता है और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से आवश्यक ब्यौरे मांगे जाते हैं। एक प्रस्ताव में शामिल वन भूमि के क्षेत्र के आधार पर, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के तहत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन पर निर्णय देने के लिए 85 कार्य दिवसों तक की न्यूनतम समय सीमा और 160 कार्य दिवसों तक की अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रस्तावों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रसंस्कृत किया जाता है और प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति सार्वजनिक 'डोमेन' में उपलब्ध करा दिया जाता है।

'परिवेश' पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकार की कोई सिंचाई स्कीम/परियोजना केन्द्र सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार की तीन (03) सिंचाई परियोजनाएं यथा (i) चंद्रपुर जिले में असोलमेंधा नवीकरण परियोजना (क्षेत्र 31574 हेक्टेयर), (ii) रायगढ़ जिले में सांबरकुंड मध्यम परियोजना (क्षेत्र 263540 हेक्टेयर), (iii) भंडारा जिले में सोरना मध्यम परियोजना (क्षेत्र 0783 हेक्टेयर) की सोरना फीडर नहर पर 600 एमटी से 1140 एमटी तक पाइप लाइन वितरण प्रणाली को वन भूमि के अपवर्तन हेतु 'परिवेश' पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया है।

******